ORIGINAL RESEARCH PAPER

History

KEY WORDS: साईमन कमीशन, गोलमेज सम्मेलन, डोमीनियम स्टेट, संविधान, अल्पसंख्यक, कम्यूनल अवार्ड, पृथक निर्वाचन प्रणाली, पूना समझौता।

गोलमेज सम्मेलन, दलित प्रतिनिधित्व और डॉ0 बी0आर0 अम्बेडकर

Manoj Kumar Research Schoolar, Dept. of History Indra Gandhi University Meerpur, Rewari

परिचय

महाराष्ट्र में निवास करने वाली अछूत महार जाति में जन्म लेकर महार जाति को गौरान्वित करने वाले डॉ0 भीम राव अम्बेड़कर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ई0 में वर्तमान मध्य प्रदेष प्रांत के महू में हुआ। उनके पिता का नाम रामजी सकपाल और माता का नाम भीमा बाई था। उनके पितामह का नाम मोलाजी सकपाल था, जो ब्रिटिष सेना में एक सिपाही थे। उनका पैतृक गॉव महाराष्ट्र के रत्नगीरी जिले में दापोली तालुके में स्थित अम्बवाड़े गाँव था। कठिन परिस्थितियों के बावजूद कठोर परिश्रम करते हुए सन् 1907 में हाई स्कूल की परीक्षा पास की। हाई स्कूल में अध्ययन करते हुए इनका विवाह रमाबाई से हो गया।

भीव राव अम्बेडकर ने सन् 1912 ई0 में बी0ए0 की परीक्षा उत्तीर्ण की तथा उच्च षिक्षा प्राप्त करने के लिए कोलंबिया विष्वविद्यालय अमेरिका चले गये। वहां सन् 1915 ई0 में उन्होंने "एनसिएंट इंड़ियन कामर्स " पर शोध प्रबंध पेष कर स्नातकोतर की उपाधि प्राप्त की तथा 1916 में "नेषनल डिविडट ऑफ इण्डिया–ए हिस्टोरिकल एंड एनविटिकल स्टडी " पर पी0एच0डी0 की उपाधि प्राप्त की। सार्वजनिक जीवन में डॉ0 अंबेड़कर ने 20 जुलाई 1924 को बहिष्कृत हितकारणी सभा का गठन कर प्रवेष किया। इसी कम में उन्होंने 1926 ई0 में समता सैनिक दल का गठन किया। समाज के अछुत और दबे कुचले लोगों के प्रति इनके समर्पण भाव से किये जा रहे कार्यो की बदौलत 1927 में वे बम्बई विधानमण्डल के सदस्य चुने गये।

डॉ0 अम्बेड़कर केवल सामाजिक कार्यो के माध्यम से ही दलितोंत्थान पर नहीं लगे हुए थे। इसके साथ–साथ वे वैधानिक प्रयासों के माध्यम से भी इस समस्या को जड़ से मिटाने का कार्य कर रहे थे। सन् 1936 में डॉ0 अम्बेड़कर ने स्वतंत्र मजदूर दल की स्थापना की और दलित, मजदूरों एवं किसानों की माँगों के लिए संघर्ष किया।2 जुलाई 1942 को डॉ0 अम्बेड़कर वायसराय की कार्यकारिणी समिति के सदस्य चुने गये तथा वे श्रममंत्री बनें। सन् 1946 में डॉ0 भीमराव अम्बेड़कर संविधान सभा के सदस्य चुने गये। डॉ0 भीमराव अम्बेड़कर के नेतृत्व में फरवरी 1948 में प्रारूप समिति ने संविधान का प्रारूप तैयार करके इसे संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद को सौंप दिया। संविधान सभा नें 26 नवम्बर 1949 को संविधान के प्रारूप को स्वीकार कर लिया। हिन्दु समाज के पुरातनपंथी विचारों से तालमेल न बैठा पाने के कारण उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्व धर्म स्वीकार कर लिया। जीवन पर्यन्त अपने समाज के लोगों की भलाई, बेहतरी व उन्नती के लिए संघर्ष करते हुए डॉ0 अम्बेड़कर 6 दिसम्बर 1956 को इस संसार से विदा हो गये।

साइमन कमीशन रिर्पोट

ब्रिटिष सराकर समय–समय पर भारत में अपनी सरकार के कार्य में सुधार के लिए आयोग की नियुक्ति करती थी तथा उनकी सिफारिषों पर अमल करती थी। इसी कड़ी में सन् 1928 में सर साइमन के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया गया। परन्तु इस आयोग में किसी भी भारतीय को स्थान नहीं दिया गया। परिणामस्वरूप सम्पूर्ण भारत में इस आयोग को विरोध का सामना करना पड़ा। विरोध के बावजूद आयोग ने अपना कार्य जारी रखा तथा मई 1930 में आयोग की रिपोर्ट प्रकाषित हुई। इस रिपोर्ट में भारतीय राधट्रवाद तथा उसकी शक्तियों की अवहेलना की गई तथा पृथक निर्वाचन प्रणाली को बनाए रखने की सिफारिष की गई। केन्द्रीय विधानसभा की कुल 250 विधानसभा सीटों में से हिन्दुओं के लिए 150 सीटें आरक्षित की गई, इसमें दलितों कों सम्मलित करते हुए सयुंक्त निर्वाचन प्रणाली रखी गई। परन्तु कमीषन ने अपनी रिपोर्ट में यह भी सिफारिष की गई कि दलित वर्गों में से उस समय तक कोई चुनाव नहीं लड़ सकता जब तक वह अपने प्रान्त के गवर्नर से योग्यता प्रमाण पत्र प्राप्त न कर ले।

डा0 भीमराव अम्बेडकर ने इस विचित्र शर्त का विरोध किया। 08 अगस्त 1930 को नागपुर दलित जाति कांग्रेस के प्रथम अधिवेषन जिसकी अध्यक्षता डा0 भीमराव अम्बेड़कर ने की थी ने इस योग्यता प्रमाण पत्र सम्बन्धी शर्त का विरोध करते हुए कहा कि, "गवर्नर द्वारा योग्यता प्रमाण पत्र मांगना एक प्रकार से शुद्ध तथा सरल मनमानी के सिवाय कुछ नहीं है। यदि वह एक क्षेत्र में केवल एक ही प्रत्यासी को योग्यता प्रमाण पत्र प्रदान करता है तो वहां चुनाव की आवश्यकता नहीं पडेगी।" उन्होने वहां उपस्थित लोगों को आह्वान करते हुए कहा कि, "मांग करो कि हम अपने प्रत्यासी का स्वंय चुनाव करें और उस चुनाव में कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। निष्चित रूप से, हम ही अपने हितों के उत्तम निर्णायक हैं, और हमें गवर्नर के हाथ में यह अधिकार नहीं देना है कि वह हमारे लिए भले बुरे का निर्णय करे।"

साइमन कमीषन की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए ब्रिटिष सरकार ने सभी दलों, वर्गों, रियासतों तथा अल्पसंख्यक समुदाय के संगठनों के नेताओं बुलाया गया, जिसे गोलमेज सम्मेलन का नाम दिया गया। सविनय अवज्ञा आन्दोलन के कारण कांग्रेस के लगभग सभी बड़े नेता जेल में थे। सरकार और कांग्रेस में कोई समझौता नहीं हुआ। इस कारण कांग्रेस ने इस सम्मेलन में भाग लेने से इंकार कर दिया। 06 सितम्बर 1930 को डा0 भीमराव अम्बेड़कर को वायसराय के द्वारा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए निमंत्रण पत्र प्राप्त हुआ। अछूतों के लिए यह घटना अद्वितीय थी, कयोंकि लगभग दो हजार वर्श से लगातार शोषित रहने के पष्चात यह शुभ अवसर आया कि भारत की भावी राजनीतिक व्यवस्था में अछूतों की राय भी ली जा रही है। डा0 अम्बेड़कर ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का फैसला किया तथा लन्दन जाने की तैयारी में लग गये। परन्तु देष मे उस समय वातावरण उनके पक्ष में नहीं था, कयोंकि सभी सवर्ण हिन्दू, कांग्रेस पार्टी और महात्मा गांधी उनसे नाराज थे। उनको अपमान भरे शब्दों में गाली दी गई तथा भारतीय समाचार पत्रों में भी उन पर आक्रोष व्यक्त किया गया तथा उनकी देषभक्ति पर संदेह जताया। परन्तु इन सब अपमानों को झेलते हुए 16 अक्टुबर 1930 को डा0 अम्बेड़कर लन्दन के लिए रवाना हो गए।

प्रथम गोलमेज सम्मेलन

12 नवम्बर 1930 को ब्रिटिष प्रधानमंत्री रम्जे मॅकडोनाल्ड की अध्यक्षता में प्रथम गोलमेज सम्मेलन आरम्भ हुआ। इस सम्मेलन में कुल 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इन 89 प्रतिनिधियों में से ब्रिटिष भारत के 53 सदस्यों, रियासतों के प्रतिनिधि के तौर पर 20 सदस्यों तथा ब्रिटिष दलों के 16 प्रतिनिधि सम्मिलित थे। सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रमुख प्रतिनिधि थे – सर तेज बहादूर सप्रू, मोहम्द अली जिन्हा, मुन्जे, सर रामास्वामी अयर, ईस्माइल मिर्जा, राय बहादूर श्रीनिवास तथा डा0 भीम राव अम्बेड़कर सम्मिलित थे। सम्मेलन के आरम्भ में सभी प्रतिनिधियों ने अपना–अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया।

डा0 अम्बेड़कर ने अपनी बात बहुत ही मर्मस्पर्षी तरीके से रखते हुए कहा कि, "मैं जिन लोगों के प्रतिनिधि की हैसियत से यहाँ खड़ा हूँ, उनकी संख्या हिन्दुस्तान की जनसंख्या का पांचवाँ भाग है अर्थात इंग्लैण्ड या फ्रांस की जनसंख्या के बराबर हैं, किन्तु आज उन्हे दास तथा गुलाम की स्थिति में ला पटका है।" डा0 अम्बेड़कर ने अपने विचार प्रस्तुत करते हुए कहा की भारत में अछूत अंग्रेजी शासन के विरूद्ध हैं और वे ऐसी सरकार के पक्ष में हैं जो जनता की, जनता के लिए और जनता द्वारा बनाई गई हो। सभा में उपस्थित प्रबुद्ध जनों के समक्ष अपना दृष्टिकोण रखते हुए कहा कि, "जब हम अपनी वर्तमान स्थिति की तुलना उस भारतीय सामाजिक स्थिति से करते हैं जो पूर्व–ब्रिटिष दिनों में थी, तो हमें यह मिलता है कि हम उन्नति करने के बजाय, मात्र समय गिन रहे है। ब्रिटिष सरकार के पूर्व हम छुआछूत के कारण दयनीय अवस्था में थे। क्या ब्रिटिष सरकार ने उसकी समाप्ति के लिए कुछ किया ? ब्रिटिष शासन से पूर्व गांव के कुएँ से हम पानी नहीं भर सकते थे। क्या ब्रिटिष शासन ने हमें यह अधिकार दिलाया ? ब्रिटिष राज्य के पूर्व हम मन्दिरों में प्रवेष नहीं कर सकते थे। क्या अव हम प्रवेष कर सकते हैं। ब्रिटिष प्रषासन के पूर्व हमारे लिए पुलिष सेवा के द्वार बन्द थे। क्या ब्रिटिष सरकार पुलिस सेवा में हमें लेती है ? ब्रिटिष राज्य के पूर्व हमें सैनिक सेवा में भर्ती नहीं किया जाता था। क्या अव भर्ती हो सकते है ? इन प्रष्नों का कोई सकारात्मक उत्तर नहीं हो सकता। यद्यपि 150 वर्श ब्रिटिष शासन के भारत में बीत चुकें हैं, पर हमारे दु:ख दर्द ज्यों के त्यों बने हुए हैं। उन्हे अभी दूर नहीं किया गया।"

वहां उपस्थित जनों से प्रष्न करते हुए उन्होने पुछा ऐसी सरकार किसी के लिए क्या काम की ? डा0 अम्बेड़कर के इस रूख को देखकर ब्रिटिष प्रतिनिधियों को आष्चर्य हुआ तथा भारतीय प्रतिनिधियों में उत्तेजना पैदा हो गई। डा0 अम्बेड़कर ने आगे कहा कि, "हमें ऐसी सरकार चाहिए जहाँ सता में रहने वाले लोग देष के सर्वोत्तम हितों के प्रति निर्विवाद रूप से वफादारी दिखा सकें। हमें ऐसी सरकार चाहिए जहाँ सता में रहने वाले लोग यह जानते हुए निश्ठा कहां समाप्त और प्रतिरोध कहाँ आरम्भ होगा, न्याय एवं उपयोगिता की मांगों के अनुसार जीवन की सामाजिक एवं आर्थिक संहिता को बदलने में कोई भय महसूस नहीं करेगें।"

डा0 अम्बेड़कर ने सम्मेलन में भारत के लिए "डोमीनियम स्टेटस" की मांग प्रस्तुत की। डा0 अम्बेड़कर ने साथ में आषंका जताते हुए कहा कि जब तक नए संविधान में राजनीतिक व्यवस्था एक विषेष प्रकार की न हो तब तक दलित वर्ग उसमें भाग नहीं ले पायेगें। नए संविधान का निर्माण करतें समय यह ध्यान अवष्य रखना चाहिए कि भारत में समाज का ढांचा जातिवाद पर आधारित है, जिसमें कुछ लोग सबसे ऊँचें और समाज का एक बड़ा तबका सबसे नीचे माना जाता है। भारतीय समाज में समानता एवं भ्रातृत्व के लिए कोई स्थान नहीं है। भारत के सवर्ण हिन्दुओं ने जातिवाद के संकुचित विचारों का परित्याग नहीं किया है। इसलिए डा0 अम्बेड़कर ने स्पष्ट शब्दों में यह कह दिया कि, "हमारे दु:खों को अपने सिवाय और कोई नहीं मिटा सकता और हम उन्हें उस समय तक समाप्त नहीं कर सकते जब तक हमारे हाथों में

राजनीतिक सत्ता न आ जाए। दलित वर्गो ने सरकारी चम्तकार देखने के लिए, बहुत लम्बे अर्से तक इन्तजार किया है। अब और इन्तजार कतई सम्भव नहीं है।"

अपने भाषण के अन्त में डा0 अम्बेड़कर ने कहा कि, "सम्भवतः यह भलीभांति महसूस नहीं किया गया है कि देष के वर्तमान वातावरण में कोई भी संविधान , जो अधिसंख्यक लोगों को स्वीकार नहीं है, कारगर सिद्ध नहीं होगा। वह समय जब आप लोग पसन्द करते थे और भारत उसे स्वीकार करता था, समाप्त हो चला है। कभी वापिस नहीं आयेगा। यदि आप चाहते हैं कि नया संविधान कारगर सिद्ध हो, तो उसका मूलाधार जनता की सहमति हो, न कि तर्क की आकस्मिकता ।" डा0 अम्बेड़कर के इस साहसिक, निर्भिक एव बौद्धिक रूप से सटिक भाषण ने वहाँ उपस्थित सभी प्रबुद्ध प्रतिनिधियों को प्रभावित किया। ब्रिटिष प्रधानमंत्री रम्जे मॅकडोनाल्ड उनसे बहुत प्रभावित हुए तथा उनके समेत वहाँ उपस्थित सभी सदस्यों ने डा0 अम्बेड़कर को इस सटिक विश्लेषण के लिए बधाइयाँ दी।

सभी प्रतिनिधियों के विचार व्यक्त करने के पष्चात गोलमेज परिशद ने नौ उप–समितियों का गठन किया गया। डा0 अम्बेड़कर की विद्ववता से प्रभावित होकर इनमें से अधिकतर उपसमितियों का सदस्य बनाया गया। डा0 अम्बेड़कर ने इस अवसर को चुनौती के रूप में लिया तथा अपने ज्ञान कौषल से इन उपसमितियों कार्यवाही में महत्वपूर्ण बातों को सम्मिलित करवाया। प्रान्तीय उपसमिति में अपने विचार रखते हुए उन्होने चिन्तामणी के दृष्टिकोण का समर्थन किया कि भारत के किसी भी प्रान्त में द्वितीय सदन की आवष्यकता नहीं है। रक्षा उपसमिति की बैठक में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि सेना में भर्ती के लिए सभी भारतीयों को मौका मिलना चाहिए।

अल्पसंख्यक उपसमिति के समक्ष दलितों के सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक अधिकारों की रक्षा हेतु मौलिक अधिकारों का घोषणा पत्र प्रस्तुत किया। इस घोषणा पत्र में कहा गया कि दलित वर्गों को राज्यों में अन्य नागरिकों की भांति समान नागरिकता प्रदान की जाए, छुआछूत समाप्त की जाए, उनकी अयोग्यताओं का अन्त हो, कानून के समक्ष भेदभाव न रहे, प्रान्तीय विधानसभाओं में दलितों का न्यायोचित प्रतिनिधित्व हो, सेवाओं में उन्हे सुरक्षित स्थान मिले और दलित अपने प्रतिनिधियों को स्वंय प्रथक निर्वाचन प्रणाली द्वारा चुनें। डा0 अम्बेड़कर के इस प्रयास के फलस्वरूप अल्पसंख्यक उपसमिति की रिपोर्ट के अन्त में यह टिप्पणी की गई कि, "भारत के अल्पसंख्यक दलित वर्ग दृढ़ प्रतिज्ञ है कि जब तक उनकी मांगो को न्यायोचित ढंग से स्वीकार नहीं किया जाता, तब तक वे भारत के लिए किसी भी आत्म–शासित संविधान की सहमति प्रदान नहीं करेगें।"

अपने इस इंग्लैण्ड़ प्रवास के दौरान डा0 अम्बेड़कर ने विदेशी पत्रों में लेख लिखकर, विभिन्न सवांददाताओं को साक्षात्कार देकर, विभिन्न देषों के राजनेताओं से मुलाकात करके तथा विभिन्न सभाओं में व्याखान देकर भारत में अछूतों के साथ हो रहे अन्याय एवं अत्याचार को सबके सामने प्रस्तुत किया। इस प्रकार डा0 अम्बेड़कर ने अछूतों की ज्वलंत समस्या को अन्तराष्ट्रीय पटल पर लाकर रख दिया। 19 जनवरी 1931 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन समाप्त हो गया। इस सम्मेलन का प्रतिफल यह हुआ कि भारतीय राजनीतिक क्षितिज पर दलित वर्ग निष्चित उद्भव सामने आया।

द्वितीय गोलमेज सम्मेलन

14 अगस्त 1931 को महात्मा गांधी और डा0 अम्बेड़कर के मध्य दलितों की समस्या पर विचार करने के लिए बैठक हुई। दलितों के उद्भव के तरीके को लेकर दोनो के मध्य अंतर्विरोध सामने आ गया। इस बैठक के उपरान्त गांधी और अम्बेडकर के मध्य एक ऐतिहासिक संघर्ष का अध्याय शुरू हो गया। डा0 अम्बेड़कर 15 अगस्त 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लन्दन रवाना हो गये। यह सम्मेलन 07 सितम्बर 1931 से लन्दन में शुरू हो रहा था। गांधी इरविन समझौते के फलस्वरूप इस सम्मेलन में कांग्रेस पार्टी की ओर से महात्मा गांधी भी भाग ले रहे थे।

15 सितम्बर 1931 को महात्मा गांधी ने सघं योजना समिति में अपना पक्ष रखते हुए दावा किया कि कांग्रेस सभी भारतीय हितों एवं वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है। उन्होने कहा कि कांग्रेस न केवल मुसलमानों, सिक्खों और पारसियों का प्रतिनिधित्व करती है, बल्कि अछूतों का नेतृत्व भी वही करती है। अल्पसंख्यक उपसमिति के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए महात्मा गांधी ने कहा कि, "हिन्दू–मुस्लिम, सिक्ख समस्या के अन्तर्गत जो विषेश प्रतिनिधित्व दिया गया है, उसे कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया है। उसके लिए ठोस ऐतिहासिक कारण भी हैं। लेकिन कांग्रेस उस फार्मूला को किसी भी रूप में अन्य अल्पसख्यकों पर लागू नहीं होने देगी। मैने विषेश हितों की सूचि को सुना है। जहाँ तक अछूतों का सम्बन्ध है, मै उसे नहीं समझ पाया जो कुछ डा0 अम्बेड़कर ने कहा हैं, लेकिन वास्तव में अछूतों के हितों के प्रतिनिधित्व में कांग्रेस डा0 अम्बेड़कर के साथ उतरदायित्व को वहन करेगी। अछूतों के हित कांग्रेस को उतने ही प्रिय हैं जितने कि भारत में अन्यों के हित। इसलिए मैं शक्तिषाली ढंग से अछूतों के लिए किसी भी विषेश प्रतिनिधित्व का विरोध करूंगा। गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी की तरह अन्य वर्गों के प्रतिनिधि अपने–अपने हितों के लिए पूरजोर वकालत कर रहे थे।

डा0 अम्बेड़कर ने महात्मा गांधी के रूख को गांधी और कांग्रेस के द्वारा अछूतों के विरूद्ध संघर्ष की संज्ञा दी। डा0 अम्बेड़कर ने अल्पसंख्यक उपसमिति के समक्ष स्पष्ट शब्दों में अपना दृष्टिकोण रखते हुए कहा कि, "प्रारम्भ में, मैं निरपेक्षतः स्पष्ट शब्दों में कहना चाहुगां कि जो लोग समझौते का प्रयास कर रहे हैं, उन्हे यह समझ लेना चाहिए कि वे सब कुछ नहीं हैं। गांधी और कांग्रेस की स्थिति कुछ भी हो, लेकिन वे हमारे संगठन स्थापित करने की स्थिति में नहीं है। मैं यह बलपूर्वक कहता हूँ कि कुछ विषेष प्रतिनिधित्व दिया जाए, कोई दे और किसी को दे, किन्तु वह मेरे हिस्से से नहीं दिया जाना चाहिए।" निसन्देह गांधी और अम्बेडकर दोनो महान नेता थे, परन्तु अछूतों की समस्या के समाधान को लेकर दोनो में मौलिक मतभेद थे। लन्दन में सरोजिनी नायडू के निवास पर दोनो में समझौते का असफल प्रयास हुआ। अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को लेकर कोई सहमति नहीं बन रही थी। समस्या उलझती गई, और अन्त में अल्पसंख्यक समिति की एक बैठक हुई जिसमें सभी अल्पसंख्यक समूहों के प्रतिनिधियों ने एक प्रकार से समझौता कर लिया और दलित वर्गों के लिए विषेश रियायतें देने की दिशा में संकेत मिला।

जब गांधी जी को इस अल्पसंख्यक समझौते का पता चला तो उन्होने इस समझौते का विरोध किया। जब ब्रिटिष प्रधानमंत्री ने देखा कि कोई सर्वमान्य समझौता सम्भव नहीं है, तो उन्होने प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि, "आप सब अल्पसंख्यक समिति के सदस्य, साम्प्रदायिक समस्या का हल निकालने के लिए मेरे पास प्रार्थना पत्र भेजें, मुझे अधिकार दें कि मैं समस्या के हल की घोषणा करू और आप सब उस निर्णय को सविकार करे। इसके उपरान्त 01 दिसम्बर 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन समाप्त हो गया।

पूना समझौता

ब्रिटिष प्रधानमंत्री और उनके मंत्रीमण्डल के सदस्यों से साम्प्रदायिक निर्णय की घोषणा से पूर्व मिलने के लिए 26 मई 1932 को डा0 अम्बेड़कर लन्दन रवाना हो गये। अपने लन्दन प्रवास के दौरान डा0 अम्बेड़कर सभी महत्वपर्ण व्यक्तियों से मिले तथा अछूतों के लिए पृथक निर्वाचन की जोरदार अपील की। 20 अगस्त 1932 को ब्रिटिष प्रधानमंत्री ने "कम्यूनल अवार्ड" की घोषणा कर दी। पृथक निर्वाचन के अनूसार दलितों को डबल वोट देने का अधिकार मिला। इसके विरोध में महात्मा गांधी ने आमरण अनषन की घोषणा कर दी। आमरण अनषन के कारण महात्मा गांधी का स्वास्थ्य लगातार गिर रहा था। पुरे देष में महात्मा गांधीं के स्वास्थ्य के लिए आवाज उठने लगी। 21 सितम्बर 1932 की शाम को डा0 अम्बेड़कर, सप्रू मदन मोहन मालवीय, जयंकर, बिड़ला, चुन्नीलाल मेहता और राजगोपालचारी महात्मा गांधी से मिलने पूना गए, जहाँ उन्हें एक गम्भीर राजनीतिक संकट का समाधान करना था। अन्त में राजगोपालचारी तथा अन्य नेताओं की सहायता से यह निर्णय हुआ कि किसी जनमत के बिना सुरक्षित सीटों तथा सयुंक्त निर्वाचन की अवधि दस साल की जाये और अछूतों के लिए पृथक निर्वाचन का अन्त हो जाये। 24 सितम्बर 1932 को पूना समझौते पर दलितों की ओर से डा0 अम्बेड़कर तथा हिन्दुओं की ओर से पं0 मदनमोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किये।

तृतीय गोलमेज सम्मेलन

17 नवम्बर 1932 को तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लन्दन में किया गया। पूर्व के दोनो गोलमेज सम्मेलनों की बजाय इस सम्मेलन में उपस्थिती कम थी। इस बार सम्मेलन का कार्य केवल इतना ही था कि पूर्व सम्मेलनों के अधुरे कार्यो का विस्तार से ब्यौरा तैयार किया जाये। इस सम्मेलन में मुस्लिम प्रतिनिधियों का व्यवहार डा0 अम्बेड़कर के प्रति बदलाव का था। वे डा0 अम्बेड़कर के प्रति कठोर व्यवहार का प्रदर्षन कर रहे थे। अतः डा0 अम्बेड़कर को कहना पड़ा कि सवर्ण हिन्दुओं के समान, मुसलमान भी अजीब लोग हैं। मुस्लिम प्रतिनिधि बिलकुल एक पृथक समूह के रूप में व्यवहार कर रहे थे जो संगठित भारत के लिए एक स्पश्ट खतरा था। केन्द्रीय सरकार के गठन के बारे में भी कुछ विचार–विमर्श किया गया। 24 दिसम्बर 1932 को सम्मेलन समाप्त हो गया तथा 23 जनवरी 1933 को डा0 अम्बेड़कर वापिस भारत लौट आये।

सारांश

भारतीय इतिहास में गोलमेज सम्मेलनों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। उपर्युक्त विवेचन से पता चलता है कि अछूतों के पृथक निर्वाचन जो कि बाद में सयुक्त निर्वाचन मे परिवर्तीत हो गया को प्राप्त करने के लिए डा0 अम्बेड़कर ने गोलमेज सम्मेलनों में अथक प्रयास किये। डा0 अम्बेड़कर ने अपने समाज के लोगों के हितों एवं अधिकारो के लिए जोरदाद पैरवी की तथा अछूतों की समस्याओं के अस्तित्व को स्वीकार करवा कर न्यायोचित समाधान पर बल दिया। इन सम्मेलनो के माध्यम से डा0 अम्बेड़कर ने भारत में अछूतों की दयनीय दषा को सम्पूर्ण विष्व के समक्ष रखा। वे भारत में अछूतों के सर्वमान्य नेता बनकर उभरे।

सन्दर्भ सूची

1 अग्रवाल, श्याम मोहन (2000), गांधी और अम्बेडकर, राजनैतिक और सामाजिक चिंतन, रितु पब्लिकेषन, जयपुर।

2 कीर, धनंजय (2006) डॉ0 बाबा साहब अम्बेडकर जीवन चरित, पॉपूलर प्रकाषन, नई दिल्ली।

3 गुप्त, विश्वप्रकाश व मोहिनी गुप्त(1997) भीमराव अम्बेडकर व्यक्ति और विचार, धारा पब्लिकेषन दिल्ली।

4 गेल, ओमवेट (2006), अम्बेडकर प्रबुद्ध भारत की ओर, पेंगविन इण्डिया, दिल्ली।

5 चंद्र, विपिन (1990) भारत का स्वतत्रंता संघर्ष, हिन्दी माध्यम कार्यन्वयन निदषालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।

6 जाटव, डी0आर0 (1993), भारत रत्न डॉ0 अम्बेडकर व्यक्तित्व और कृतित्व, समता साहित्य सदन जयपुर।

7 जाटव, डी0 आर0 (1993), बी0 आर0 अम्बेडकर एक प्रखर विद्रोही, ए0 बी0 डी0 पब्लिषर्स, जयपुर।

8 पुजारी, विजयकुमार (2010), डॉ0 अंबेडकर : जीवन दर्षन, गौतम बुक सेन्टर, दिल्ली।

9 भटनागर, राजेन्द्र कुमार (1994), डॉ0 अम्बेडकर व्यक्तित्व और कृतित्व, चिनमय प्रकाषन, जयपुर।

10 मधु, लिमये (1996), बाबा साहब अम्बेडकर एक चिंतन, आत्मा राम एण्ड संस, नई दिल्ली।

11 मंत्री, गणेश (1999), गांधी और अम्बेडकर, प्रभात प्रकाषन, दिल्ली ।

12 राम, जगजीवन (1981), भारत में जातिवाद और हरिजन समस्या, राजपाल एंड संस, दिल्ली।

13 राय, हिमाषु (1996), युगपुरूश बाबा साहेब डॉ0 अंबेडकर, समता प्रकाषन, नई दिल्ली।